

## आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा

### प्रलिस के लिये:

आरक्षण, इंदरा साहनी नरिणय, अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4A), अनुच्छेद 16(4B), अनुच्छेद 15(4)

### मेन्स के लिये:

सार्वजनिक रोजगार और संबंधित नरिणयों में आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2004 में आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को प्रदत्त 5% आरक्षण का मुद्दा पुनः चर्चा में है, जिससे धर्म-आधारित आरक्षण से संबंधित बहस दोबारा शुरू हो गई है।

### आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण की पृष्ठभूमि:

#### ■ परचय:

- आंध्रप्रदेश में, जहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 9.5% है, जबकि कुछ मुसलमि समूह पूर्व से ही राज्य ओ.बी.सी. अनुसूची में शामिल हैं, जिसमें उन्हें 7% से 10% तक का आरक्षण कोटा प्राप्त है।
  - हालाँकि, कर्नाटक और केरल के मॉडल का अनुसरण करते हुए सभी मुसलमानों को अन्य पछिड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने पर जोर दिया गया है।

#### ■ वर्ष 2004 में आरक्षण:

- जून, 2004 में सरकार ने OBC सूची में शामिल करने के लिये राज्य में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की जाँच की, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत 5% आरक्षण दिया गया।
- हालाँकि, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने पछिड़ा वर्ग आयोग को संदर्भित किये बिना करीमी लेयर को आरक्षण की श्रेणी से बाहर न करने के लिये लागू किये जाने वाले आरक्षण कोटा को रद्द कर दिया था।
  - न्यायालय ने कहा कि मुसलमि समुदाय को एक समान समूह (Homogenous Group) नहीं माना जा सकता है।
  - न्यायालय के समक्ष प्रमुख प्रश्नों में से एक यह था कि क्या एक समूह के रूप में मुसलमान संवैधानिक ढाँचे के भीतर सकारात्मक कार्रवाई के हकदार हैं, जिस पर न्यायालय ने ने सकारात्मक कार्रवाई के पक्ष में नरिणय सुनाते हुए कहा कि इस तरह के आरक्षण धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं करते हैं।

#### ■ वर्ष 2005 में आरक्षण:

- पछिड़ा वर्ग आयोग ने समस्त मुसलमि समुदाय को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पछिड़ा बताते हुए आरक्षण देने की सफारिश की।
- राज्य सरकार ने फरि से मुसलमानों को 5% कोटा देने वाला एक अध्यादेश पेश किया, जिस बाद में कानून से बदल दिया गया।
- उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि आयोग ने यह नषिकर्ष नकालने के लिये वस्तुनषिठ मानदंडों (एम. नागराज बनाम भारत संघ, 2006) पर भरोसा नहीं किया कि एक समूह के रूप में मुसलमि आंध्र प्रदेश में पछिड़े थे, एक बार फरि कोटा को रद्द कर दिया गया।
- इस नरिणय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने वर्ष 2010 में मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का नरिदेश दिया गया।

#### ■ वर्तमान स्थिति:

- सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई वर्ष 2022 के लिये नरिधारित की गई थी। हालाँकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा मुद्दे पर नरिणय होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने का नरिणय किया।
- EWS कोटा नवंबर, 2022 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन AP कोटा मुद्दे पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।

#### ■ आंध्र के आरक्षण मॉडल से जुड़े मुद्दे:

- मुसलमानों को एक समरूप समूह मानना संवैधानिक मूल संरचना में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

- यह केवल धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर संवैधानिक नषिध का भी उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 15(1) और 16(2))।
- उच्च न्यायालय ने पाया कि आंध्र प्रदेश की आरक्षण सीमा (46%) अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रदत्त कोटा के अनुरूप है और इसमें मुसलमानों के लिये 5% आरक्षण देने से 50% की सीमा का उल्लंघन होता है, इस उल्लंघन के लिये बाध्यकारी कारणों की कमी पर प्रश्न उठाया।

## अन्य राज्यों में समान धर्म आधारित आरक्षण:

- **केरल:** अपने 30% OBC कोटा के भीतर 8% मुसलमि कोटा प्रदान करता है।
- **तमिलनाडु और बहार:** अपने OBC कोटे में मुसलमि जाति समूहों को भी शामिल करते हैं।
- **कर्नाटक:** 32% OBC कोटा के अंतर्गत मुसलमानों के लिये 4% उप-कोटा निर्धारित था।
  - राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में इस उप-कोटा को **वोक्कालिगी और लीगियतों** के बीच पुनर्वितरित किया।
- **कर्नाटक का हालिया मुद्दा:**
  - **राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग आयोग (NCBC)** ने कर्नाटक में अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) कोटा के वर्गीकरण के संबंध में, विशेष रूप से **श्रेणी II-B** के तहत मुसलमानों के लिये "ब्लैकट रजिस्ट्रेशन" के मुद्दे को संबोधित करते हुए, कर्नाटक सरकार के **मुख्य सचिव** को समन किया है।
  - **वर्तमान स्थिति:** कर्नाटक OBC वर्गीकरण की **श्रेणी II-B** के तहत मुसलमानों को वर्गीकृत करता है, इसके अलावा **श्रेणी I** में 17 और **श्रेणी II-A** में 19 मुसलमि जातियाँ शामिल हैं।
  - **NCBC की चिंता:**
    - NCBC मुसलमानों के लिये एक पृथक श्रेणी की आवश्यकता पर प्रश्न उठाती है और उनके पछिड़े वर्गीकरण को उचित ठहराने वाली **रिपोर्टों की वैधता** पर संदेह करती है।
    - NCBC का दावा है कि OBC कोटा के भीतर वर्गीकरण के कारण **कर्नाटक में मुसलमानों को स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश में विशेष प्रतिनिधित्व** दिया जा रहा है।
    - NCBC को चिंता है कि **सभी मुसलमानों को स्थानीय निकाय चुनावों में किसी भी OBC या सामान्य श्रेणी की सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति देने से** अन्य योग्य OBC समुदाय अवसरों से वंचित हो सकते हैं।
  - **कर्नाटक सरकार का तर्क:**
    - कर्नाटक सरकार ने विभिन्न राज्य आयोगों द्वारा अनुशंसित मुसलमानों को **न तो जाति और न ही धर्म**, बल्कि पछिड़ा वर्ग मानते हुए **श्रेणी II-बी** के तहत वर्गीकृत को उचित ठहराया।

## आरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान क्या हैं?

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **संवैधान का अनुच्छेद 16(4)** "पछिड़े वर्ग के नागरिकों" के लिये आरक्षण की अनुमति देता है। **राज्यों** को यह निर्धारित करने का **विवेक** है कि किन समुदायों को पछिड़े वर्गों के रूप में रखा जा सकता है।
  - **अनुच्छेद 15** के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिये अर्हता प्राप्त करने के लिये, एक समूह को **पहले अपना सामाजिक और शैक्षणिक पछिड़ापन प्रदर्शित करना होगा** तथा **अनुच्छेद 16(4)** के तहत सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिये अधिकारियों को समूह के पछिड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में इसके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दोनों को सुनिश्चित करना होगा।
- **सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख नरिणय:**
  - **चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1951):**
    - शैक्षणिक संस्थानों में केवल जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त कर दिया।
    - संवैधान के प्रथम संशोधन का नेतृत्व किया।
  - **इंदरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1992:**
    - **आरक्षण पर प्रतिनिधित्व सीमाएँ:**
      - क्रीमी लेयर का बहिष्कार
      - 50% कोटा सीमा
      - पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं (एससी/एसटी को छोड़कर)।
  - **एम. नागराज बनाम भारत संघ मामला, 2006:**
    - **अनुच्छेद 16** को बरकरार रखा (4A पदोन्नति में एससी/एसटी के लिये आरक्षण की अनुमति देता है)
    - ऐसी नीतियों के लिये 3 शर्तें स्थापित की गईं:
      - सामाजिक एवं शैक्षणिक पछिड़ापन
      - अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
      - दक्षता को बनाए रखना
  - **जरनैल सहि बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामला, 2018:**
    - SC एवं ST के लिये पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति
    - राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पछिड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।
  - **जनहति अभियान बनाम भारत संघ, 2022:**
    - **सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन** की वैधता को बरकरार रखा है जो पूरे भारत में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में अगड़ी जातियों के बीच **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections - EWS)** के लिये 10%

## भारत में धर्म-आधारित आरक्षण से संबंधित तर्क क्या हैं?

- भारत में धर्म-आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क:
  - सामाजिक-आर्थिक पछिड़ापन: सचचर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मुसलमान शिक्षा, रोजगार और आय जैसे सामाजिक-आर्थिक असमानता के मामले में अन्य समुदायों से पीछे हैं।
    - आरक्षण इस अंतर को कम करने में सहायता कर सकता है।
  - संवैधानिक आदेश: भारतीय संविधान धार्मिक और सांस्कृतिक संप्रदाय के बावजूद सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।
  - पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: आरक्षण रोजगार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व वाले धार्मिक समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है।
- भारत में धर्म-आधारित आरक्षण के विरुद्ध तर्क:
  - धर्मनिरपेक्षता: आलोचकों का तर्क है कि धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करना भारतीय संविधान में नहि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की वकालत करता है।
  - राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना: धर्म-आधारित आरक्षण राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है क्योंकि इससे विभिन्न समुदायों के बीच वैचारिक विभाजन हो सकता है।
  - आर्थिक मानदंड: आरक्षण केवल धर्म के स्थान पर आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ उन लोगों तक पहुँचे जो वास्तव में आर्थिक रूप से वंचित हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
  - प्रशासनिक चुनौतियाँ: धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने से प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे लाभार्थियों की पहचान के लिये मानदंड निर्धारित करना एवं प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना।

## आगे की राह

- सामाजिक-आर्थिक मानदंड: धर्म के स्थान पर आरक्षण सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर आधारित हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सबसे वंचित व्यक्तियों तक पहुँचे, यद्यपि उनका धर्म कुछ भी हो।
- शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण: पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिये शैक्षणिक बुनियादी ढाँचे में सुधार के साथ-साथ कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- समावेशी नीतियाँ: धर्म आधारित आरक्षण का सहारा लिये बिना, शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में पिछड़े धार्मिक समुदायों की वशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली समावेशी नीतियों को लागू करना।
- संवाद एवं सर्वसम्मति: विभिन्न समुदाय, उनके सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये आम सहमत पर पहुँचने के लिये सभी हितधारकों को शामिल करते हुए संवाद में शामिल हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि उठाए गए कोई भी उपाय संवैधानिक मूल्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

### दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करने की संवैधानिक वैधता एवं सामाजिक-राजनीतिक नहितार्थों पर चर्चा कीजिये। यह धर्मनिरपेक्षता, समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को किस प्रकार से प्रभावित करता है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[[[?]]]:

प्रश्न. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कसिकी अनुशंसा की गई थी/थी? (2011)

1. भारत के लिये पूर्ण स्वतंत्रता।
2. अल्पसंख्यकों की सीटों के आरक्षण के लिये संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र।
3. संविधान में भारत के लोगों के लिये मौलिक अधिकारों का प्रावधान

नीचे दिये गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1  
(b) केवल 2 और 3  
(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

?????:

प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचति जातिआयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचति जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/issue-of-reservation-for-muslims-in-andhra-pradesh>

